

17531/11

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

104

18882



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

897602



1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
2. मोहल्ला/ग्राम....मौजा नगला सदोला तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.259 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
5. पेडों का मूल्यांकन.नहीं
6. बोरिंग/कुआ/अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि.. 1000000/-रुपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 1000000/-रुपये
9. स्टाम्प देय 70000/-रुपये
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 2000000/-रुपये प्रति हैक्टेयर जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 23स क्रमांक 4 पर दर्ज है। कार्यक्षेत्र 30नि0 मथुरा -प्रथम/द्वितीय

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

श्रीमती गायत्री देवी बंसल पत्नी श्री हरीशंकर बंसल निवासी जैन गली घीया मण्डी मथुरा

गायत्री बंसल

Handwritten signature



79 5.11.2011 20000 (

સા. નં. ૭૨ જી. પી. ડાહ્યાવાલા દ્વારા સાપેક્ષતાદેશ દ્વારા લિ. ૧૦

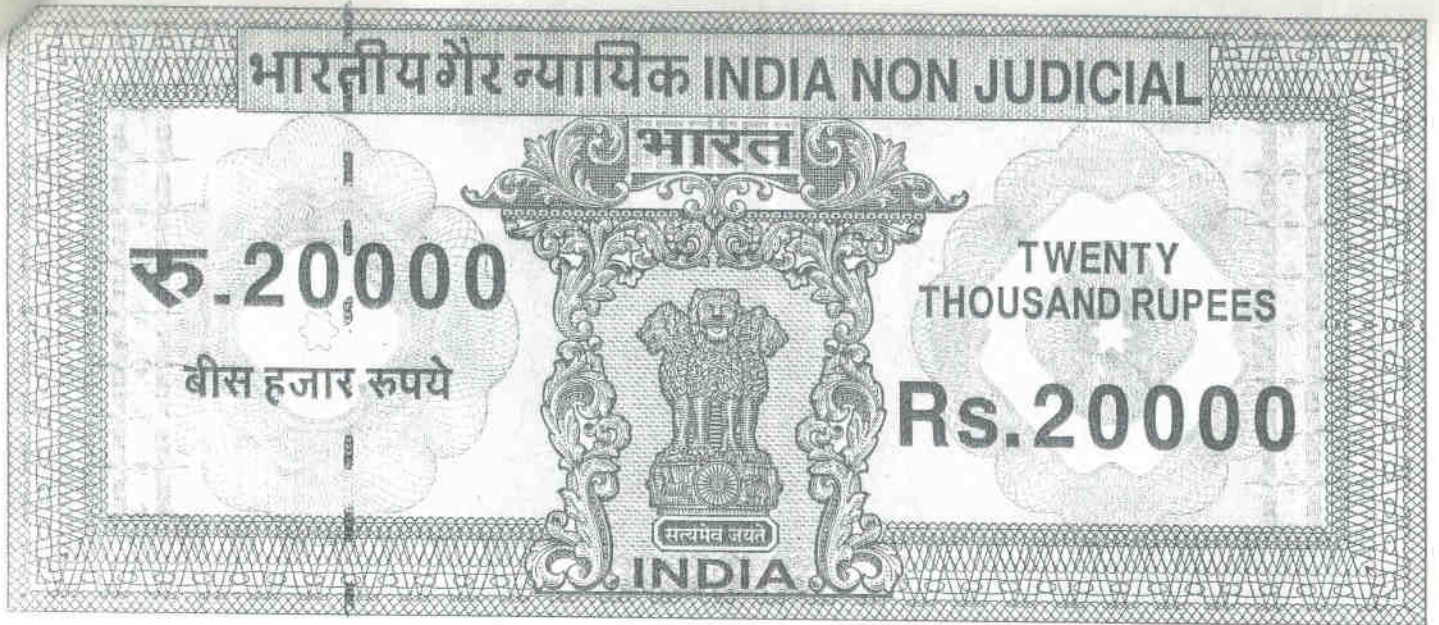
સા. નં. ૭૨ જી. પી. ડાહ્યાવાલા દ્વારા

૬૨

૧૧૧ જામનાલાલ

૬. જામના





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

897601



(2)

क्रेता की संख्या (1)
क्रेता का विवरण

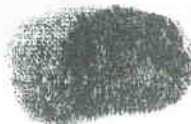
एस0जे0पी0 ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा

मैं कि श्रीमती गायत्री देवी बंसल पत्नी श्री हरीशंकर बंसल निवासी जैन गली घीया मण्डी मथुरा की हूं।

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर-126 व खसरा नंबर-174 रकबा 0.259 हैक्टेयर लगानी 4.25 रुपया सालाना बाकै मौज नगला सदोला तहसील व जिला मथुरा मिलिकयत मेरी है जिसको मैंने अपने स्त्री धन के रुपये से बजरिये बैनामा दिनांक-3.6.2003 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरामें बही नंबर-1 जिल्द 2238 के सफा 37/56 नंबर-5070 पर हुआ, लालसिंह आदि से खरीदी और सरकारी कागजात माल में मेरा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में

गायत्री बंसल

(Signature)





05AA 964657

(3)

मुझको हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत मेरी ही है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 1000000/-दस लाख रुपये जिसके आधे 500000/-पाच लाख रुपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम

श्री जमुनाधाम

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 919065

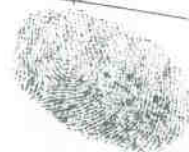
25 MAR 2019

(4)

कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 700000/-रुपये भिन्न भिन्न तारीखों में पहले पाये व 300000/-रुपये ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स तिलकद्वार, मथुरा शाखा के दो किता चैक प्रथम नंबर-233701 व द्वितीय नंबर-233702 प्रत्येक तादादी 150000/-रुपये द्वारा पाकर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावे और स्वयं जो चाहे सो करे अब मुझको व मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा । यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई

गायत्री बं २५ त

Homawal





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 911406



(5)

बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रुपया मय जर समन व जर लागत व सुद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है बिक्रित कृषि भूमि पर कृषि अनवरत रूप से चल रहा है वर्तमान में भी खेती हो रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । बेचे जाने वाली आराजी को संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से रंग लाल से दर्शायी गयी है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है । विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है । उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषि कार्य हो रहा है । उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्रापट किया गया है ।

गा २५ त्री बं २५ ल

Homarres





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 911407

(6)

तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0-2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर-6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर-441 पर दिनांक-2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

गा. म. त्री. व. स. त.

Amur



29 दि 21/11/11 Low
22 दि

[Signature]

आज दिनांक 16/11/2011 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 7883
पृष्ठ सं. 217 से 232 पर क्रमांक 17531
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]

पी-के-यादव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
16/11/2011





॥ श्री हरि ॥



बैनामा 100000/- रुपया
 मालियत 116000/- रुपया
 देयस्टाम्प 11600/- रुपया
 क्षेत्र :- 30 नि 0 प्रथम मधुरा
 बैनामा आराजी बाकै मौजा
 नगला सदौला तहसील व जिला
 मधुरा उक्त क्षेत्र की आराजी का
 सरकारी रेट 180000/- रुपया
 प्रति एकड़

हमफि लालसिंह व जवाहर पुत्रगण श्री दूदा निवासीगण ग्राम अस्गरपुर
 तहसील व जिला मधुरा विद्वेता प्रथमपक्ष व श्रीमती गायत्रीदेवी बंसल
 वत्नी श्री हरीशंकर बंसल निवासी जैन गली घीयामण्डी मधुरा तहसील
 व जिला मधुरा द्वेता द्वितीयपक्ष के हैं । जो किआराजी भूमिधरी बाता

गायत्रीबंसल

लालसिंह

जवाहर



2 3-6-2003
 श्री श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः

100000
 116000

अल्प वस्तुविवरण
 नि.सं. प्रति.सं. म.सं. ग.सं.
 2220 + 2740/100
 म.सं. 21600
 ग.सं. 121
 को समय पर
 उपनिबन्धक म.सं. 21600
 निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।

म.सं. 21600

उपनिबन्धक
 म.सं. 21600

अल्प वस्तु का निष्पादन
 म.सं. 100000
 ग.सं. 21600
 म.सं. 21600
 ग.सं. 121
 को समय पर
 उपनिबन्धक म.सं. 21600
 निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।

म.सं. 21600

उपनिबन्धक
 म.सं. 21600
 ग.सं. 121

अल्प वस्तु का निष्पादन
 म.सं. 100000
 ग.सं. 21600
 म.सं. 21600
 ग.सं. 121
 को समय पर
 उपनिबन्धक म.सं. 21600
 निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।



-2-

नंबर 126 नंबरी खसरा 174 रकवा 0.259 हैक्टेयर लगानी 4/25
 पेसा सालाना बाकें मौजा नगला सदौला तहसील व जिला मथुरा
 प्रथमपक्ष की आराजी भूमिधारी है जिसपर प्रथमपक्ष का ही कब्जा है
 सिवाय प्रथमपक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नही
 है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथमपक्ष को उक्त
 आराजी की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकारात
 प्राप्त है उक्त आराजी हरप्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ
 है और प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी की बाबत कोई इकरारनामा किसी के

मालशिक्ष

जवाहर

गायत्री बंसल





-3-

साथ तय नहीं किया है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो प्रथमपक्ष की उक्त आराजी के हस्तान्तरण करने में बाधा या रुकावट डाल सके। अब वास्ते खर्च सुद प्रथमपक्ष को अपनी उक्त आराजी बेचनी जरूरी है और इस समय द्वितीयपक्ष उक्त कुल आराजी भूमिधारी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है इस कीमत में बेच देन में प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है चुनांचि उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो प्रथमपक्ष को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक के वसुशी वराजी अपने वरेवज 100000/- एक लाख रुपया कि जिनके आधे 50000/- पचास हजार रुपया होते है

वा. ल. 21/2/25

जवाहर

गजाननसल





4
1366

-4-

बदस्त श्रीमती गायत्रीदेवी बंसल पत्नी श्री हरीशंकर बंसल निवासी जैन
गली घियामण्डी मथुरा द्वितीयपक्ष के हकमे बेच दी और कीमत का कुल
रुपया प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामापाकर कब्जा
व दखल बेची गयी सम्पूर्ण अंश आराजी पर वाकई अपने समान पूरा
मालिकाना करा दिया द्वितीयपक्ष बेची गयी आराजी की आज से पूरी
मालिक हो गयी वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तांतरण आदि
प्रयोग में लावे और जो चाहे सो करे । अब बेची गयी आराजी में प्रथमपक्ष
व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का
शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में होगा अगर कभी कोई

मा. मा. श. र.

जा. वा. ह. र.

गायत्री बंसल





-5-

व्यक्ति बेची गयी आराजी की बाबत दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा द्वितीयपक्ष से निकल जावे या कहीं रहन आदि निकले तो प्रथमपक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी द्वितीयपक्ष अपना कीमत का दिया गया रुपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा व खर्च किये गये

ली.ली. 21६

जवाहर

गायत्री बंसल



-6-

रूपयों को प्रथमपक्ष व उसकी हरप्रकार की चल अचल सम्पत्ति से
वाजान्ता प्राप्त करले इसमें प्रथमपक्ष व उसके वारिसों को कुछ उज़ा

मालिश

जवाहर

गायत्री बंसल



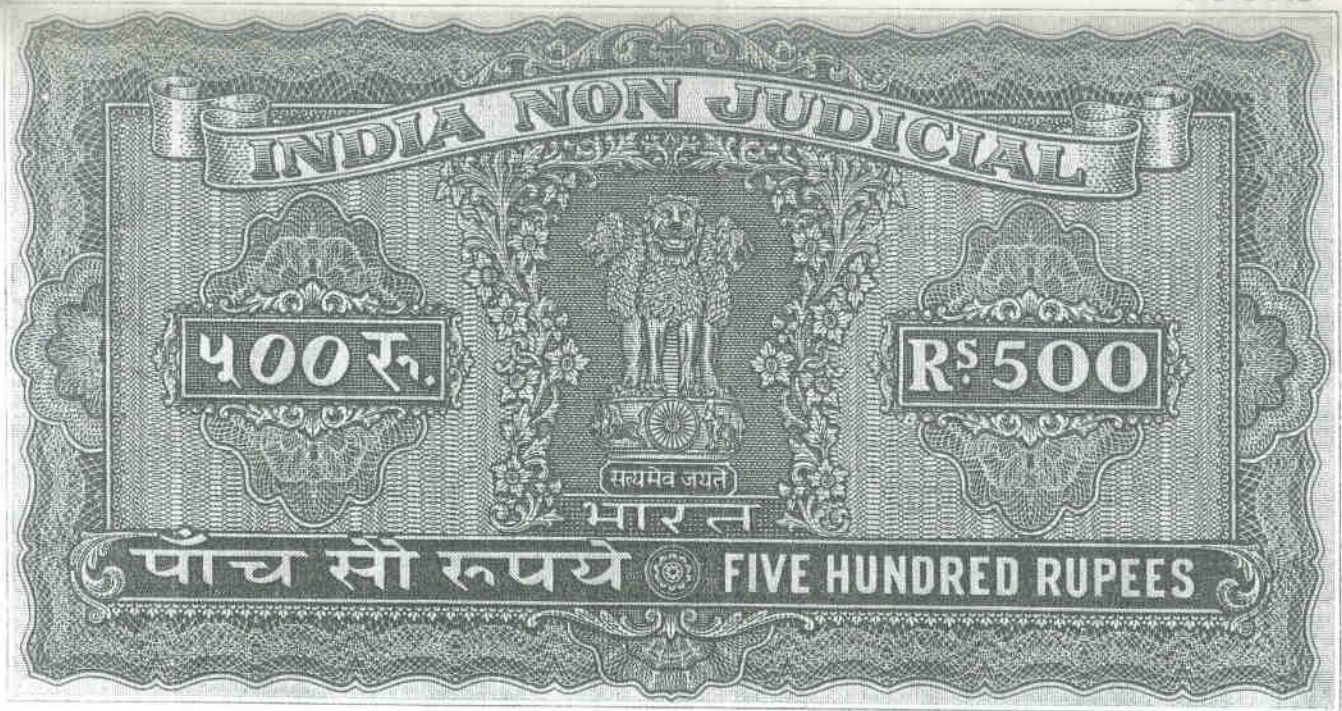
-7-

न होगा । बेची गयी आराजी आवास विकास शुल्क क्षेत्र के
अन्दर स्थित है बाजारी मूल्य 100000/- रुपया है मगर उक्त
क्षेत्र की जमीनो आराजी का सरकारी रेट 180000/- रुपया
प्रति एकड़ का होनेके कारण स्टाम्प शुल्क 116000/- रुपये की
मालियत पर दिया गया है विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के

मालिक

जवाहर

गायत्री बंसल



-8-

सदस्य नहीं है इसलिये यह बैनामा प्रथमपक्ष ने अपनी राजी खुशी से
 वक्क द्वितीयपक्ष लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे
 फोटो श्री अरुण प्रकाश मिश्र एड० ने तसदीक किये है ।

बालाजी 21/5

जावाहर

जायत्री बंसल



-9-

दिनांक :- 3. 6. 03 ई०

टाईप किया :- सतेन्द्र कुमार मथुरा

डाफ्ट किया :- श्री सोहनलाल शर्मा एड० मथुरा

लाला 212

जवाहर

गायत्री बंसल

शर्मा

बिष्णु अग्रवाल पुष्पा गोविन्द शर्मा

रिफी मल्ली मल्ली

चौधरी

8/26

बिष्णु अग्रवाल

शर्मा

लीला 510 हीरा

मि अरुणपुर

वह मथुरा

लीला

10
2

3.6.9003

100

मोहन

98

बही नं. 1 दिनांक नं. 2238 दिनांक 37-56

में दस्तावेज नं. 570 दिनांक

को रजिस्ट्रार नं. 3-6-93

मोहन

उप निदेशक

सदर प्रथम



25th April 1974 10:15 AM

25th April 1974 10:15 AM

25th April 1974 10:15 AM

25th April 1974 10:15 AM

25th April 1974 10:15 AM

25th April 1974 10:15 AM

25th April 1974 10:15 AM